

23/05/25

D.O.  
आर०डी० मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, रातन

वकील अपीलान्त व अपीलान्त

के बार-बार रुक रुक कर आवाने

लागवारी गरी कोई उपस्थित नही। अतः पत्रावली

अडम हाजरी व अडम पैरवी में खारिज की

जाती है। पत्रावली बाह कार्यवाही दाखिल

दफ्तर है।

~~सदस्य~~  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

~~सदस्य~~  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर